न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी—राजेन्द्र विजय आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या— 74/2018

बउनवान

सुरेश कुमार आयु 42 वर्ष पुत्र दुलीचन्द जाति—मीना निवासी—सीसवाली तहसील—मॉगरोल जिला—बारां (अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये नायब तहसीलदार,सीसवाली (रेस्पोंडेंट)

अपील धारा—75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :—1. श्री ओम भारद्वाज, अभिभाषक (अपीलांट)

2. पेरोकार सरकार (रेस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक— 27.01.2021

1— अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, सीसवाली के आदेश दिनांक 26.04.2016 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा—75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम—सीसवाली, तहसील—मॉगरोल की उप निवेशन भूमि खसरा नम्बर 3343, 3344, 3345 व 3346 कुल रकबा 0.27 किस्म—बारानी प्रथम पर अतिक्रमी मानकर 135/—रूपये अर्थदण्ड एवं फसल जप्ति व नीलामी के आदेश पारित किये गये है।

2— अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उपरोक्त वर्णित आराजियात् अपीलांट ने चम्बल परियोजना सरकारी भूमि आवंटन के अन्तर्गत दिनांक 22.04.2013 को उपखण्ड अधिकारी, मॉगरोल के आदेश क्रमांक 188 दिनांक 05.04.2013 की पालना में ग्राम सीसवाली की पुकरवायी गयी बोली अपीलांट के पक्ष में 60,500/— रूपये रहीं तथा जिसकी पालना में अपीलांट द्वारा चौथाई राशि दिनांक 24.04.2013 को जमा करा दी गई है। अपीलांट के पास उक्त खसरा नम्बर के पास स्वंय की खरीदशुदा आराजी है जिसपर अपीलांट का कब्जा काश्त है। उक्त बाली को जिला कलक्टर, [illegible] किया। जिसकी अपील भू प्रबंध अधिकारी एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा [illegible] जेरकार है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बेदखल करने के आदेश पारित कर दिया है [?]। जबकि अपीलांट का उक्त आराजी पर अतिक्रमण नही है। अधीनस्थ न्यायालय [?] द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट [?] पर उक्त आदेश पारित करने मे भारी भूल की है जो खिलाफ [?] कानून होने से निरस्त [?] किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.02.22 11:53:18 IST
Reason: SelfAttested

3— अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को जवाबदेहीं व साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया है, मनमाना आदेश पारित किया है। निर्णय साईक्लोस्टाईल परफोर्मा पर है जिसे स्पेसिफिक निर्णय नहीं माना जा सकता। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 26.04.2016 निरस्त फरमाया जावें तथा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, सीसवाली को आदेश दिये जावें कि राजस्व अपील प्राधिकारी,कोटा के निर्णय होने तक उक्त कार्यवाहीं निरस्त फरमायी जावे।

4— इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

5— बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, सीसवाली द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी से बेदखल करने के आदेश पारित किये गये है। जबकि उक्त वर्णित आराजी खसरा नम्बर 3343, 3344, 3345 व 3346 कुल रकबा 0.27 है0 को अपीलांट ने ग्राम सीसवाली मे उप निवेशन भूमि की पुकरायी गयी बोली राशि 60,500/—रूपये में क्रय की है जिसकी चौथान राशि भी जमा करायी गयी है। इसके बावजूद हल्का पटवारी ने अपीलांट के विरूद्व अतिक्रमण की रिपोर्ट पेश की गयी है। उक्त नीलामी कार्यवाहीं को जिला कलक्टर बारां द्वारा निरस्त कर रखा है, जिसकी अपील अपीलांट ने राजस्व अपील प्राधिकारी,कोटा में कर रखी है। मामला अपीलीय न्यायालय में लंबित है। इस प्रकार हल्का पटवारी को अपीलांट के विरूद्व रिपोर्ट करने का कोई अधिकार नहीं है, ना हीं अधीनस्थ न्यायालय को उक्त आराजी के बेदखल करने का अधिकार है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के वास्तविक तथ्यों की जॉच किये बिना, अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही तथा साक्ष्य का अवसर दिये बिना एकपक्षीय आदेश पारित किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 26.04.2016 निरस्त फरमाया जावें तथा अधीनस्थ न्यायालय को आदेश दिये जावे कि राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के अंतिम निर्णय नहीं होने तक, बेदखली की कार्यवाहीं नहीं की जावे।

6— इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने विद्वान अभिभाषक अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये व्यक्त किया कि विवादित आराजी वर्तमान में सिवायचक खाता सरकार दर्ज है। अपीलांट उक्त आराजी पर अतिक्रमी होने से हल्का पटवारी द्वारा अतिक्रमण की रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में पेश की है। इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा—91 का प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किये गये है। नोटिस तामील अपीलांट स्वंय की हुयी है तथा अपीलांट स्वंय अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुये है। इसलिये अपीलांट का यह कहना कि उसे सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया है। उचित प्रतीत नही होता है। धारा—91 की कार्यवाहीं अतिक्रमी के विरूद्व बेदखली की कार्यवाहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को वर्णित आराजी पर अतिक्रमी पाये जाने के फलस्वरूप बेदखली, जप्ति व

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.02.22 11:53:18 IST
Reason: SelfAttested

नीलामी के आदेश पारित किये गये है। उक्त आदेश में कोई कानूनी त्रुटि नहीं है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

7— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 3343, 3344, 3345 व 3346 कुल रकबा 0.27 है0 वर्तमान में सिवायचक खाता सरकार दर्ज है। उक्त आराजी सिवायचक दर्ज होने तथा अपीलांट उक्त आराजी पर बतौर अतिक्रमी होने पर, हल्का पटवारी द्वारा अपीलांट के विरूद्व अतिक्रमण की रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विधिवत नोटिस जारी किया गया है जिसकी तामील अपीलांट स्वयं को हुयी है तथा अपीलांट दिनांक 29.03.2016 को स्वंय अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ है। बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट का मुख्य तर्क है कि उसने उक्त आराजी नीलामी बोली में क्रय की है तथा उक्त आराजी के संबंध में वर्तमान में राजस्व अपील प्राधिकारी,कोटा के यहॉ अपील लंबित है। इसलिये अपीलीय न्यायालय के निर्णय होने तक बेदखली की कार्यवाहीं नहीं की जावे। अपीलांट का उक्त कथन उचित प्रतीत नहीं होता है। क्योकि उक्त वर्णित आराजी वर्तमान में सिवायचक खाता सरकार दर्ज है। अपीलांट के उक्त आराजी खाते दर्ज नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट बतौर अतिक्रमी पाया गया है। इसी आधार पर अपीलांट के विरूद्व धारा—91 एलआरएक्ट के तहत बेदखली की कार्यवाही की गयी है, जो कानूनी प्रावधानों के तहत उचित प्रतीत होती है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

8— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, सीसवाली द्वारा प्रकरण संख्या 117/2016 में पारित आदेश दिनांक 26.04.2016 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.01.2021 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राजेन्द्र विजय)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.02.22 11:53:18 IST
Reason: SelfAttested